

बायोडायवर्सिटी क्रेडिट

प्रलिस के लयः

बायोडायवर्सिटी क्रेडिट, [कृनमगि-मॉन्टरयल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फरेमवरक \(KMGBF\)](#), [UNCCD में पारटियों का 15वाँ सममेलन \(CoP15\)](#), बायोडायवर्सिटी क्रेडिट एलायंस

मेन्स के लयः

जैवविधिता क्रेडिट, पर्यावरण प्रदूषण और कषरण

[स्रोत: डाउन टू अर्थ](#)

चरचा में क्योँ?

[कृनमगि-मॉन्टरयल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फरेमवरक \(KMGBF\)](#) के तहत नरिधारति वभिनिन लक्ष्यों पर वतितपोषण के रूप में [बायोडायवर्सिटी क्रेडिट](#) अथवा बायोक्रेडिट को तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

- [जैवविधिता अभसिमय \(CBD\)](#) पर पक्षकारों के सममेलन (CoP15) की 15वीं बैठक में स्थापति कया गया KMGBF, जैवविधिता संरक्षण, सतत् उपयोग एवं न्यायसंगत लाभ साझाकरण के लयि महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य नरिधारति करता है।

बायोडायवर्सिटी क्रेडिट क्या है?

परचियः

- बायोडायवर्सिटी क्रेडिट एक वतितय साधन है जसि जैवविधिता-समृद्ध कषेत्रों के **संरक्षण**, पुनरस्थापन तथा सतत् उपयोग के लयि धन जुटाने हेतु **डज़ाइन कया गया है**।
- ये **कारबन क्रेडिट** के समान ही कार्य करते हैं कति नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के स्थान पर **इनका उपयोग वशिष रूप से जैवविधिता संरक्षण पर केंद्रति है**।
- बायोडायवर्सिटी क्रेडिट का मुख्य उद्देश्य **CBD के तहत KMGBF** जैसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों द्वारा उल्लखिति जैवविधिता के संरक्षण तथा पुनरस्थापन के लक्ष्यों के अनुरूप पहल के लयि नज़ी नविश को आकर्षति करना है।

बायोडायवर्सिटी क्रेडिट एलायंसः

- बायोक्रेडिट को प्रोत्साहन देने के लयि CBD के CoP15 में **बायोडायवर्सिटी क्रेडिट एलायंस** लॉन्च कया गया था।
- वर्ष 2023 तक वभिनिन मंचों के माध्यम से इन्हें प्रोत्साहन देने का प्रयास कया गया। दसिंबर 2023 में **मुंबई में आयोजति UNFCCC के CoP28** में इससे संबंधति गहन चरचा की गई।
- इसका उद्देश्य सरकारी नकियों, गैर-लाभकारी संस्थाओं तथा नज़ी उद्यमों सहति वभिनिन हतिधारकों के बीच समर्थन जुटाना एवं जागरूकता फैलाना है।

करयान्वयन एवं पहलः

- **महासागर संरक्षण प्रतबिद्धताएँ (OCC): महासागर संरक्षण प्रतबिद्धताओं (Ocean Conservation Commitments-OCC)** को सतिंबर 2023 में न्यूए (Niue) के मोआना महु संरक्षति समुद्री कषेत्र (127,000 वर्ग किलोमीटर) के लयि लॉन्च कया गया था।
 - OCC इच्छुक खरीदारों द्वारा खरीद के लयि उपलब्ध हैं जसिमें प्रत्येक OCC 20 वर्षों के लयि संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने की प्रतबिद्धता का प्रतनिधित्व करता है।
 - 148 अमेरिकी डॉलर प्रत OCC की कीमत पर, इन प्रतबिद्धताओं ने ब्लू नेचर एलायंस, कंज़र्वेशन इंटरनेशनल तथा नज़ी दानदाताओं जैसे गैर-सरकारी संगठनों से नविश जुटाने का सफल कार्य कया है।
- **वालेसिया टरसटः** जैवविधिता तथा जलवायु अनुसंधान पर केंद्रति यूनाइटेड कगिडम स्थति इस संगठन ने जैवविधिता क्रेडिट के लयि 5 मिलियन की **पर्याप्त वतितय** राशि उपलब्ध कराने की **प्रतबिद्धता** जताई है। इसकी भागीदारी संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने के लयि जैवविधिता क्रेडिट का उपयोग करने में अनुसंधान-उन्मुख संस्थाओं की रुचि का संकेत देती है।

■ चुनौतियाँ और अनिश्चितताएँ:

- पर्याप्त कृषमता के बावजूद, जैवविविधता क्रेडिट की सफलता निश्चित नहीं है। इसके समक्ष चुनौतियों में **मैनिममक ढाँचे, मूल्य निर्धारण संरचनाएँ** शामिल हैं जो खरीदारों तथा विक्रेताओं दोनों के लिये निष्पक्षता तथा यह सुनिश्चित करती हैं कि ये तंत्र वास्तव में कॉर्पोरेट हितों के स्थान पर जैवविविधता संरक्षण के लिये कार्य करते हैं।

जैवविविधता संरक्षण से संबंधित पहल क्या हैं?

■ भारतीय पहल:

- **भारत व्यापार और जैवविविधता पहल (IBBI)**
- **आरद्वरभूमि (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम 2010**
- **जलीय पारितंत्र के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय कार्ययोजना**
- **वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो**
- **जैवविविधता अधिनियम, 2002**

■ वैश्विक:

- **नागोया प्रोटोकॉल (Nagoya Protocol)**
- **वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)**
- **परकृति हेतु विश्व व्यापी नधि (World Wide Fund for Nature)**

आगे की राह

- जैवविविधता क्रेडिट की अवधारणा कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क (KMGBF) में उल्लिखित जैवविविधता संरक्षण के लिये आवश्यक वित्तीय अंतर को कम करती है। हालाँकि विनियमन, वास्तविक संरक्षण प्रभाव एवं जैवविविधता लक्ष्यों के साथ संरक्षण के बारे में महत्त्वपूर्ण विचार सतर्क और सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।
- यह तुरंत पता लगाना महत्त्वपूर्ण है कि उन्हें कैसे विनियमित किया जाना चाहिये और उनकी निगरानी किस प्रकार की जानी चाहिये। यह सुनिश्चित करना होगा कि वस्तु के मूल्य का निर्धारण विक्रेताओं के साथ-साथ खरीदारों के लिये भी उचित हो।
- ब्रिटन और फ्राँसीसी सरकारें उच्च-अखंडता जैवविविधता क्रेडिट बाज़ार के लिये एक रोडमैप तैयार करने में अग्रणी हैं।
- इस बात को ध्यान में रखते हुए यह कठिन होगा क्योंकि अधिकांश बायोक्रेडिट समर्थक वाणिज्यिक क्षेत्र से हैं और जैवविविधता के बजाय जैवविविधता वनाश को करियांवति करने वाली फर्मों के हितों की रक्षा करने के इच्छुक हैं।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष प्रश्न

?????????:

प्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2023)

1. भारत में जैवविविधता प्रबंधन समितियों नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्यों को हासिल करने के लिये प्रमुख कुंजी हैं।
2. जैवविविधता प्रबंधन समितियों के अपने कषेत्राधिकार के अंतर्गत जैविक संसाधनों तक पहुँच के लिये संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुँच और लाभ सहभागिता निर्धारित करने के लिये महत्त्वपूर्ण प्रकार्य हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- **भारत में जैवविविधता शासन:** भारत का जैवविविधता अधिनियम, 2002 (BD अधिनियम), नागोया प्रोटोकॉल से निकटतम रूप से संबंधित है, इसका उद्देश्य जैवविविधता अभिसमय (CBD) के प्रावधानों को लागू करना है।
- नागोया प्रोटोकॉल ने आनुवंशिक संसाधनों में वाणिज्यिक एवं अनुसंधान के उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु सरकार के ऐसे संसाधनों का संरक्षण करने वाले समुदाय के साथ लाभों को साझा करने की मांग की।

- जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 41(1) के तहत राज्य में प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर एक जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन करेगा। **अतः कथन 1 सही है।**
- BMC का मुख्य कार्य स्थानीय लोगों के परामर्श से जन जैवविविधता रजिस्टर (Public Biodiversity Register- PBR) तैयार करना है। BMC, PBR में दर्ज सूचनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, विशेष रूप से बाहरी व्यक्तियों और एजेंसियों तक इसकी पहुँच को वनियमिति करने के लिये उत्तरदायी होगी।
- जन जैवविविधता रजिस्टर (PBR) तैयार करने के अतिरिक्त BMC अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में नमिनलखिति के लिये भी ज़म्मेदार है: -
 - **जैविक संसाधनों का संरक्षण, सतत् उपयोग एवं पहुँच तथा लाभ को साझा करना।**
 - वाणजियिक एवं अनुसंधान उद्देश्यों हेतु जैविक संसाधनों और/या संबद्ध पारंपरिक ज्ञान तक पहुँच का वनियमन।
- BMC जैविक संसाधनों तक पहुँच और प्रदान किये गए पारंपरिक ज्ञान के वविरण, **संग्रह शुल्क का वविरण**, प्राप्त लाभों का वविरण और अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उनके साझाकरण के तरीके के बारे में जानकारी देने वाला एक रजिस्टर भी बनाए रखेगी। **अतः कथन 2 सही है।**

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/biodiversity-credits>

